हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी मेहरचन्द बनाम भूमिधारी मु.सं. 475/2024

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

GCMS-2024/790

05-03-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी मेहरचन्द स्वयं उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं पेशशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम मान्या पुत्र मंगला दर्ज हैं जबकि वादग्रस्त आराजी के सह खातेदारों के साथ एक अन्य जमाबदी खाता संख्या 200 ख.नं. 20 ता 24 में प्रार्थी के पिता का नाम माला पुत्र मगला दर्ज हैं जो कि सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र से होती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 भू.रा.अधि. स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं किः–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम बिहारीपुर तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 11, 16, 168, 169, 171 कुल किता 5 रकबा 0.15 (2.56) है0 में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम "मान्या पुत्र मंगला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "माला पुत्र मंगला" दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:35:51 IST
Reason: SelfAttested